

प्रारूप-घ (संलग्नक-3) औपबन्धिक (प्रोविजनल) अनापत्ति प्रमाणपत्र

यूआईडी संख्या: **UPFS/2023/99223/GBN/GAUTAM BUDDH NAGAR/23646/JD**

दिनांक: **30-10-2023**

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **LOTUS SRS BUILDTECH PVT. LTD** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **PLOT NO-GH-04A, SECTOR-12, GREATER NOIDA** तहसील - **DADRI** प्लॉट एरिया **30000.00 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया - (वर्गमीटर), ब्लॉकों की संख्या **8** जिसमें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
T1 WING A AND B	32	2	106.65 mt.
T2	33	2	107.35 mt.
T3	33	2	107.35 mt.
T4	33	2	107.35 mt.
T5 WING A AND B	33	2	107.35 mt.
T6 WING ABC	12	2	40.35 mt.
COMMERCIAL	2	1	7.40 mt.
COMMUNITY	2	1	10.05 mt.

है। भवन का अधिभोग मैसर्स **LOTUS SRS BUILDTECH PVT. LTD** द्वारा किया जायेगा। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं का प्राविधान एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार किया गया है। इस भवन को औपबन्धिक अनापत्ति प्रमाणपत्र, एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Residential** के अन्तर्गत इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि प्रस्तावित भवन में अधिभोग श्रेणी के अनुसार सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं के मानकों का अनुपालन पूर्ण रूप से किया जायेगा तथा भवन के निर्माण के पश्चात भवन के अधिभोग से पूर्व अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा। ऐसा न करने पर निर्गत प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मैसर्स **LOTUS SRS BUILDTECH PVT. LTD** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे।

Note : अग्निशमन अधिकारी / मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा प्रेषित स्थलीय भौतिक निरीक्षण संस्तुति आख्या व अपलोडिड मानचित्रों के अनुसार सम्बन्धित सक्षम सत्ता प्राधिकारी को यह प्रोवीजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है कि उपरोक्त भवन के अध्यासन/ प्रयोग से पूर्व समस्त अग्निशमन व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिष्ठापित कराया जाना अनिवार्य है, यदि भवन स्वामी द्वारा बिना व्यवस्थाओं के अध्यासन किया जाता है, तो भवन के असुरक्षित अध्यासन हेतु सत्ता प्राधिकारी निगरानी रखे।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)



Digitally Signed By
(Aman Sharma)

[A0269865B740788D0DE1F7D7C6707A357F263D40]

07-11-2023

निर्गत किये जाने का दिनांक : **07-11-2023**
स्थान : **LUCKNOW**

For **LOTUS SRS BUILDTECH PVT. LTD.**

Aman Sharma
Authorised Signatory



SPARSH BUILDERS PVT LTD

51/47, NAYA GANJ, KANPUR-208001

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

Date: 03-11-2020

Valid Upto: 01-11-2028

AAI/RHR/NA/ATM/NOC/2020/338/1345-1348

No Objection Certificate for Height Clearance

1. This NOC is issued by Airports Authority of India (AAI) in pursuance of responsibility conferred by and as per the provisions of Govt. of India (Ministry of Civil Aviation) order GSR751 (E) dated 30th Sep. 2015 for Safe and Regular Aircraft Operations.

2. This office has no objection to the construction of the proposed structure as per the following details:

NOC ID :	SAFD/NORTH/B/102720/508096
Applicant Name*	Rampal Singh
Site Address*	SPARSH BUILDERS PVT LTD., C-7, CROSSINGS REPUBLIK, DUNDAHERA, GHAZIABAD, GHAZIABAD, Ghaziabad, Uttar Pradesh
Site Coordinates*	28 37 48.48N 77 26 12.64E, 28 37 51.51N 77 26 13.52E, 28 37 51.15N 77 26 14.08E, 28 37 47.78N 77 26 15.75E, 28 37 50.38N 77 26 15.93E, 28 37 50.00N 77 26 16.36E, 28 37 49.26N 77 26 16.46E
Site Elevation in mtrs AMSL as submitted by Applicant*	207.43 M
Permissible Top Elevation in mtrs Above Mean Sea Level(AMSL)	307.43 M

*As provided by applicant

3. This NOC is subject to the terms and conditions as given below:

a. Permissible Top elevation has been issued on the basis of Site coordinates and Site Elevation submitted by Applicant. AAI neither owns the responsibility nor authenticates the correctness of the site coordinates & site elevation provided by the applicant. If at any stage it is established that the actual data is different, this NOC will stand null and void and action will be taken as per law. The office in-charge of the concerned aerodrome may initiate action under the Aircraft (Demolition of Obstruction caused by Buildings and Trees etc.) Rules, 1994"

b. The Site coordinates as provided by the applicant in the NOC application has been plotted on the street view map and satellite map as shown in ANNEXURE. Applicant/Owner to ensure that the plotted coordinates corresponds to his/her site. In case of any discrepancy, Designated Officer shall be requested for cancellation of the NOC.

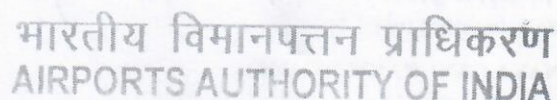
c. Airport operator or his designated representative may visit the site (with prior coordination with applicant or owner) to ensure that NOC terms & conditions are complied with.

d. The Structure height (including any superstructure) shall be calculated by subtracting the Site elevation in AMSL from the Permissible Top Elevation in AMSL i.e. Maximum Structure Height = Permissible Top Elevation minus (-) Site Elevation.

e. The issue of the 'NOC' is further subject to the provisions of Section 9-A of the Indian Aircraft Act, 1934 and any notifications issued there under from time to time including the Aircraft (Demolition of Obstruction caused by Buildings and Trees etc.) Rules, 1994.

क्षेत्रीय मुख्यालय उत्तरी क्षेत्र, परिचालन कार्यालय परिसर रंगपुरी, नई दिल्ली - 110037 दूरभाष संख्या - 91-11-25653566
Regional headquarter Northern Region, Operational Offices Complex Rangpuri, New Delhi-110 037 Tel: 91-11-25653566

" हिंदी पत्रों का स्वागत है "



p. In case of any dispute w.r.t site elevation and/or AGL height, top elevation in AMSL shall prevail.

Name / Designation / Sign with Date	
Prepared By :	 Ranjeet K Verma MAO (ATM)
Verified By :	 G.P. SINGH J. G. M. (ATM)

" हिंदी पत्रों का स्वागत है । "



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

AAI/RHQ/NR/ATM/NOC/2020/338/1345-1348
Copy to:

1. Chief Architect Town Planner, GDA, Vikas Path, Near Old Bus Stand, Ghaziabad-201001
2. Guard File

3. The CEO, DIAL, NEW CDDAN Bhawan, IGI Airport T-3
New Delhi - 110037

8

कार्यालय नगर मजिस्ट्रेट
सेक्टर-19 नोएडा गौतमबुद्धनगर।

पत्र संख्या-891/एस0टी0-सी0एम0/2023,
दिनांक-18 अक्टूबर 2023

प्रबन्धक/स्वामी

LOTUS SRS BUILDTECH PVT LTD.

PLOT NO - GH-04A, SECTOR-112 GREATOR NOIDA WEST GAUTAM BUDHA NAGAR.

विषय:-तरणताल के निर्माण हेतु अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बन्ध में।

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने प्रार्थना पत्र का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा LOTUS SRS BUILDTECH PVT LTD. PLOT NO - GH-04A, SECTOR-112 GREATOR NOIDA WEST GAUTAM BUDHA NAGAR में (02)स्वीमिंग पूल प्रथम तल तथा टेरेस तल बनाये जाने की अनुमति चाही गयी है। उक्त से सम्बन्ध में प्रभारी कीडाधिकारी गौतमबुद्धनगर की आख्या/पत्र सं0 898./2023-24 दिनांक/0.10.2023 के क्रम में प्रस्तावित स्थान पर निम्न व्यवस्थाएँ कराये जाने की शर्तों के आधार पर संलग्न सूची अनुसार (02) स्वीमिंग पूल के निर्माण की अनुमति प्रदान की जाती है।

शर्त:-

- 01-पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिये।
 - 02-पूल पर वाटर ट्रीटमेन्ट प्लांट का होना अनिवार्य है।
 - 03-स्वीमिंग पूल की क्षमता के अनुपात में दो फिल्टर प्लान्ट होना अनिवार्य है।
 - 04-स्वीमिंग पूल की डैक की टाईल्स स्काई ब्लू होनी चाहिये।
 - 05-पानी निकासी का उचित प्रबन्ध होना चाहिये।
 - 06-स्वीमिंग पूल के अन्दर की टाईल्स स्काई ब्लू होनी चाहिये।
 - 07-स्वीमिंग पूल बनाते समय स्वीमिंग पूल की गहराई अवश्य अंकित करें कि गहराई 8 फीट से अधिक न हो
 - 08-स्वीमिंग पूल के अन्दर जाने के लिए एक ही दरवाजा होना चाहिये।
 - 09-स्वीमिंग पूल के चारों ओर की उँचाई कम से कम 05 फीट होनी चाहिये।
 - 10-समय-समय पर जिला प्रशासन के दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।
 - 11-बोर वेल का पानी का उपयोग न किया जाय का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।
 - 12-NGT के आदेशों का पालन अनिवार्य रूप से अनुपालन करना अनिवार्य है।
- उपरोक्त शर्तें स्वीमिंग पूल के निर्माण से सम्बन्धित हैं, अतः स्वीमिंग पूल का निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त उसके संचालन के लिए अलग से अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति के संचालन किये जाने की दशा में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

For LOTUS SRS BUILDTECH PVT. LTD.


Authorised Signatory

प्र0 नगर मजिस्ट्रेट/अध्यक्ष,
स्वीमिंग पूल तकनीकी समिति नोएडा,
गौतमबुद्धनगर।